फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), मुकाम जायल (नागौर)

पन्नाराम बनाम रामरखराम

किस्म प्रकरण राजस्व प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या 89 / 2013

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
18/8/13	वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 21/08/13 को पेश हो। [signature]	
21/8/13	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी जो निरीक्षण में/अवकाश पर नहीं हुए हैं, इसलिए प्रकरण इनके समक्ष दिनांक 18/10/13 को पेश करें। [initials]	
18/10/13	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी ... में/अवकाश पर ... इसलिए प्रकरण इनके समक्ष दिनांक 25/11/13 को पेश करें। [initials]	
25/11/13	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता चुनाव में व्यस्त पीठासीन अधिकारी ... में/अवकाश पर ... इसलिए प्रकरण इनके समक्ष दिनांक 22/1/14 को पेश करें। [initials]	
22/1/14	व. वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थीगणों के सम्मन तलबाना प्राप्त नहीं हुआ है। सम्मन तलबाना आज ही पेश करो। पत्रावली दिनांक 28/2/14 को पेश हो। [signature]	
22/2/14	पक्षकार/... के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी ... अवकाश ... प्रकरण इनके समक्ष दिनांक 7.4.14 को पेश करें।	

Scanned by CamScanner

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश पन्नालाल V/S रामरखाराम 89/2013	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
19-4-17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 30.6.17...को प्रस्तुत करें।	
28/7/17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पत्रावली न्यायालय में... [illegible] पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 23.10.17...को प्रस्तुत करें।	
	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता 23.10.17 पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 23/2/18...को प्रस्तुत करें।	
23.2.18	पत्रावली पेश हुई वकील वादी को पेश होने के लिये तीन बार आवाजे लगायी गई न तो वकील वादी उपस्थित हुए और न ही वादी स्वयं उपस्थित हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि यह वाद वर्ष 2013 से दर्ज हुआ है। दर्ज होने के पश्चात नोटिस पेश करने के लिये वकील वादी को बहुत वक्त दिया गया परन्तु नोटिस पेश नही किये है इसलिये वादी का वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारीज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम	